आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
10/7/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 136/2011** **कृष्णा मांझी बनाम राज्य एवं अन्य** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC सं0 21693/13 कृष्णा मांझी बनाम राज्य एवं अन्य में दाखिल वाद से संबंधित है। उक्त रिट याचिका अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के आदेश ज्ञापांक 1033/आपूर्ति दिनांक 19.11.11 के विरूद्व वाद दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गई। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के द्वारा गठित पंचायत वार जॉच दल द्वारा दिनांक 25.10.2011 को श्री कृष्णा मांझी, जन वितरण प्रणाली विकेता, ग्राम पंचायत–नाथा छपरा, प्रखंड–दरियापुर के दुकान की जॉच की गयी थी। जॉच के कम में दुकान बंद पाई गयी थी। इस संबंध में विकेता से स्पष्टीकरण की मॉग की गयी थी। विकेता के द्वारा प्राप्त कराए गए स्पष्टीकरण पर प्रखड आपूर्त्ति पदाधिकारी, सोनपुर से मंतव्य की मॉग की गयी थी। प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकार, सोनपुर ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया था कि विकेता का यह कृत्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 तथा संशोधित 2011 के प्रावधानों, अनुज्ञप्ति शर्त्तो तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका 196/2001 में दिनांक 2.5.2003 को पारित न्यायादेश की कंडिका 1(ए) की स्पष्ट अवहेलना एवं उक्त प्रावधान के आलोक में अनुज्ञप्ति रदद करने का निदेश है। निरीक्षी पदाधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन तथा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सोनपुर के मंतव्य के आलोक में विकेता के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए विकेता की अनुज्ञप्ति को रदद कर दिया गया।	

अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि दिनांक 25.10.2011 को अपीलार्थी की तबीयत अचानक खराब हो गयी थी। चिकित्सीय जॉच हेतु हाजीपुर चले गए थे (चिकित्सक की छयाप्रति पुर्जी संलग्न), जिस कारण अपीलार्थी की दुकान बंद पायी गयी थी।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विक्रेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुनने तथा अभिलेख के परिसीलन से पाया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर द्वारा Speaking order पारित नहीं किया गया है। ऐसे में इस मामले को पुनः जॉचोपरान्त वाद की सुनवाई कर मुखर आदेश पारित करने हेतु रिमांड किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

(हस्ताक्षर)
जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

(हस्ताक्षर)
जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 879 दिनांक 22/8/14

प्रतिलिपि – SDO सोनपुर को LCR मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। / NIC पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/8/14
वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
22/8/14 सारण, छपरा।